

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-कार्य०का०सू०-01/2025-03...../वि०स०।

प्रेषक,

माणिक लाल हेम्ब्रम,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची, दिनांक-13/01/2025

विषय:- षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के पत्रांक-कार्य०का०सू०-01/2025- 02 /वि०स०, राँची, दिनांक-13/01/2025 के क्रम में निदेशानुसार मैं, षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र दिनांक- 24 फरवरी, 2025 से 27 मार्च, 2025 तक की अवधि में होनेवाली बैठकों में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यों के निष्पादन के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गई हैं।

02. दिनांक-24 फरवरी, 2025 को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो), भारत का संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अधीन 11:30 बजे पूर्वा० झारखण्ड विधान सभा वेश्म में झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो), तत्पश्चात् शोक प्रकाश (यदि हो) लिये जायेंगे।

03. दिनांक-25 फरवरी, 2025 को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद-विवाद तथा दिनांक-27 फरवरी, 2025 को धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा।

-:वित्तीय कार्य:-

04. वित्तीय वर्ष-2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन-दिनांक-27 फरवरी, 2025 को वित्तीय वर्ष-2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन, दिनांक-28 फरवरी, 2025 को उक्त व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, सरकार का उत्तर, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन तथा पारण होगा।

अतएव झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-173 एवं 268(1) के अन्तर्गत उक्त व्यय विवरणी में सम्मिलित किसी

कृ०पृ०30

माँग पर कटौती प्रस्ताव की सूचना नियम-168 के शिथिलीकरण के साथ दिनांक-27 फरवरी, 2025 को 04:00 बजे अप0 तक सचिव के कार्यालय कक्ष में देने हेतु समय नियत की गई है।

05. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन-दिनांक- 03 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक का उपस्थापन होगा तथा दिनांक-04 मार्च, 2025 को उक्त आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा।

06. अनुदान की माँगों पर वाद-विवाद ,सरकार का उत्तर एवं मतदान-दिनांक- 05 मार्च, 2025, 06 मार्च, 2025, 07 मार्च, 2025, 10 मार्च, 2025, 11मार्च, 2025, 17 मार्च, 2025, 18 मार्च, 2025, 19 मार्च, 2025, 20 मार्च, 2025, 21 मार्च, 2025, तथा 24 मार्च, 2025 को अनुदान की माँगों पर वाद-विवाद ,सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। दिनांक-24 मार्च, 2025 को ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक के विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण होगा।

-: विधायी कार्य :-

07. दिनांक-25 मार्च, 2025, 26 मार्च एवं 27 मार्च, 2025 को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) होंगे।

-: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प) :-

08. संलग्न कार्यक्रम को देखने से यह ज्ञातव्य है कि दिनांक-27 मार्च, 2025 को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)के लिए नियत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के अनुसार गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना देने की अंतिम तिथि नियत प्रथम दिन से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व निर्धारित है। इसके तहत गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना दिनांक-12 मार्च, 2025 को 04.00 बजे अप0 तक सचिव के कार्यालय कक्ष में देने हेतु समय निर्धारित की गयी है।

मैं इस संबंध में आपका ध्यान झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के द्वितीय परन्तुक की ओर भी आकृष्ट करता हूँ, जिसके अनुसार कोई सदस्य गैर-सरकारी संकल्प के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दे सकते हैं।

09. श्लाका- गैर-सरकारी संकल्पों के कम निर्धारित करने के लिए सचिव के कार्यालय कक्ष में श्लाका किया जायेगा, जिसके लिए तिथि 19 मार्च, 2025 को 04.00 बजे अप0 में समय निर्धारित की गयी है।

10. (क) प्रश्नों की सूचनार्थे देने के लिए चक्रानुवर्तित क्रम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है।



(ख) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता श्लाका द्वारा निर्धारित की जायेगी।

11. सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्य के लिए उपर्युक्त नियत तिथि ऐसे परिवर्तनों के अधीन है, जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जायेंगे अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखलाए जायेंगे।

12. यदि कार्यवश तिथि- 27 मार्च, 2025 के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ तो भिन्न-भिन्न कार्यों के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस सचिवालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात जो आपके उपयोग एवं सत्रावधि में निदेश के लिए आवश्यक हो, उसे अपने साथ अवश्य लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,


(माणिक लाल हेम्ब्रम)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची

13.01.25

**भारत के संविधान के अधीन गठित षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के
द्वितीय (बजट) सत्र का औपबधिक कार्यक्रम**

दिनांक 24 फरवरी, 2025 (सोमवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. शपथ या प्रतिज्ञान (यदि हो) 2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अधीन 11:30 बजे पूर्वाह्न, झारखण्ड विधान सभा देश में झारखंड विधान सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष माननीय राज्यपाल का अभिभाषण। 3. विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो) 4. शोक प्रकाश (यदि हो)
दिनांक 25 फरवरी, 2025 (मंगलवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उपस्थापन एवं वाद-विवाद।
दिनांक 26 फरवरी, 2025 (बुधवार)	बैठक नहीं होगी।
दिनांक 27 फरवरी, 2025 (गुरुवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन। 3. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान।
दिनांक 28 फरवरी, 2025 (शुक्रवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक पर वाद-विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक 01 मार्च, 2025 (शनिवार)	बैठक नहीं होगी।
दिनांक 02 मार्च, 2025 (रविवार)	
दिनांक 03 मार्च, 2025 (सोमवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक का उपस्थापन।
दिनांक 04 मार्च, 2025 (मंगलवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।
दिनांक 05 मार्च, 2025 (बुधवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर।
दिनांक 06 मार्च, 2025 (गुरुवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 07 मार्च, 2025 (शुक्रवार)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 08 मार्च, 2025 (शनिवार)	बैठक नहीं होगी।
दिनांक 09 मार्च, 2025 (रविवार)	

P T O -

(12)

11

दिनांक 10 मार्च, 2025 (सोमवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 11 मार्च, 2025 (मंगलवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 12 मार्च, 2025 (बुधवार)	बैठक नहीं होगी।
दिनांक 13 मार्च, 2025 (गुरुवार)	
दिनांक 14 मार्च, 2025 (शुक्रवार)	
दिनांक 15 मार्च, 2025 (शनिवार)	
दिनांक 16 मार्च, 2025 (रविवार)	
दिनांक 17 मार्च, 2025 (सोमवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 18 मार्च, 2025 (मंगलवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 19 मार्च, 2025 (बुधवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 20 मार्च, 2025 (गुरुवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 21 मार्च, 2025 (शुक्रवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक 22 मार्च, 2025 (शनिवार)	बैठक नहीं होगी।
दिनांक 23 मार्च, 2025 (रविवार)	
दिनांक 24 मार्च, 2025 (सोमवार)	1. प्रश्नकाल। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान। 3. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक 25 मार्च, 2025 (मंगलवार)	1. प्रश्नकाल 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हों)
दिनांक 26 मार्च, 2025 (बुधवार)	1. प्रश्नकाल 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हों)
दिनांक 27 मार्च, 2025 (गुरुवार)	1. प्रश्नकाल 2. राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हों) 3. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।